

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री गोपाल मीणा

विपक्षी :- श्री किशोर भील

किस्म मुकदमा :- 128 एलआरएक्ट

पत्रावली संख्या :- 58/22

जीसीएमएस नम्बर :- 2022/173

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---------|---|---------------------------------------|
| | <p>दिनांक : 13.10.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस का निवेदन किया। बहस सुनी गई।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम जवानजी का खेड़ा पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की हाल ऑनलाईन नकल जमाबंदी के खाता संख्या 93 पर दर्ज आराजी नम्बर 112, 156 किता 2 कुल रकबा 0.2185 हैक्टेयर भूमि की किस्म वाणिज्यिक दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी इन्ही आराजीयात की उक्त प्रकरण के माध्यम से पत्थरगड़ी करवाना चाहता है।</p> <p>न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रकरण में वर्णित आराजीयात की किस्म वाणिज्यिक दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि राजस्व न्यायालय का कृषि भूमि से संबंधित ही प्रकरण सुनने का क्षेत्राधिकार में है। उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर वाणिज्यिक होने से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। ऐसे में उक्त प्रकरण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से इसे आगे चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का मंटेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p> | |

